

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना.....
 शोभाराम बनाम मुरारी बगै 0

किस्म मुकदमा ... प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट नं. 199/24 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल मे जारी हुए
06.08.2024	<p>प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1474 रकवा 0.30, 1475 रकवा 0.60 हैक्ट. वाके ग्राम पीपर्रा तहसील बयाना स्थित है में प्रार्थी के कब्जेकाश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें। डोर मेढ नहीं तोडे। पत्थर की गढी हुई मुड्डीयो को नहीं तोडे। नाजायज कब्जा नहीं करें। उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। फसल को बर्बाद नहीं करें। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।</p> <p>हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 23.09.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1474 रकवा 0.30, 1475 रकवा 0.60 हैक्ट. वाके ग्राम पीपर्रा तहसील बयाना तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>नोट— यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/राजस्व डेक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली रास्ते तलबी दिनांक 23.09.2024 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 बयाना (भलपुर)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

12/2/26

पीएलसीन अधिकारी... को पेश है
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... को पेश है

21/4/26

रिवाय
सेक्टर
जो/किस/की/इस.

27/4
26

प्रमाण पेश हुआ 150 वादी उपर
प्रति जं०। का प्रमाण पेश नहीं।
प्रति जं०। का प्रमाण बन्द किया
जाता है।

150 वादी द्वारा स्वयं
आपस बाबत विवेक सिमा जमा
इसने पत्रावली व संलग्न दस्तावेज
का अवलोकन सिमा। प्रिमा फेसी
सेज व सुविधा का संतुलन
वादी से पक्ष में प्रतीत होता
है।

अतः न्यायालय द्वारा ले जारी
अंतरिम स्वयं आपस किं 6/8/24
को मूलवाद के विधि तमपुल्ल
किया जाता है।

पत्रावली फेल ल कुमार टिकर
नम्बर के कम के काड-तमनील
दामिल दस्तर है।